

19-5-2016

राजस्व लोक अदालत न्याय इसके कार के तहत
उभयपक्षों के मोटेते जपरी होने के बाद पत्रावली
पुनः राजस्व लोक अदालत फल बिना रेड गुप्त
योग्य पेश हुयी मोटेते बाद वाली शामिल पत्रावली
ही वाली काकमूड सुपना सुनवाई हेतु उपलब्ध लक्ष्य है
अतः बाद वाली हेतु दाजरी व अदालत फली के
स्वार्थित किया जाता है पत्रावली फलवशुभ्य होकर
लक्ष्य ले रूप से लक्ष्य दफतर दाखिल हो

उप ज. उ. अधिकारी
उनियारा